रजिस्ट्रर्ड सं. डी-(डी एन)—128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 1990 (चैत्र 3, 1912)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 1990 (CHAITRA 3, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिकर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	265
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	339
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	269
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के चित्र तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (सघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (सघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (सघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	315
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	291
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1257
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	39
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को निभाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	265
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	339
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	269
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories),	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	315
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	291
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1257
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	39
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

* Folio not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी, 1990

संकल्प

सं. एम-11011/1/90-भावी योजना.—भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक अवैतनिक सलाहकार पैनल का गठन करने का निर्णय लिया है जो नियमित आधार पर विकास का जायजा लेने के लिए योजना आयोग के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके कार्य करेगा तथा विभिन्न नीति विषयक विकल्पों और कार्यक्रम संबंधी कार्यनीतियों के बारे में सुझाव देगा ।

2. पैनल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) आचार्य राममूर्ति,
श्रम भारती, खादी ग्राम
जिला मुंगेर
बिहार-811313

(2) डा. डी. टी. लाकड़ावाला,
बिल्डिंग-5, लेडी एन-काट आर्फनेज
7, चौपाटी रोड,
बम्बई-400 007

(3) डा. के. एन. राज,
नन्दवन,
डालावा कून्नु,
कुमारपुरम
त्रिवेन्द्रम-695 001

(4) डा. के. एस. कृष्णस्वामी,
प्रणति,
प्लाट न. 1706, 14वां मेन,
30वां क्रास, बनशंकरी स्टेज-II,
बंगलौर-560 041

(5) डा. वी. कूरियन,
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड,
आनंद (गुजरात) पिन-388 001

(6) डा. अमूल्य रेड्डी,
भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर-560 012

(7) डा. वीना माजूमदार,
निदेशक,
महिला विकास अध्ययन केन्द्र,
बी-43, पंचशील एनक्लेव,
नई दिल्ली-110 017

(8) डा. वी. ए. पाईपनादीकर,
निदेशक,
नीति अनुसंधान केन्द्र,
धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली-110 021

(9) डा. वाई. पी. रुद्रप्पा,
राज महल विलास एक्सटेंशन,
बंगलौर-560 080

3. पैनल के कार्य के संबंध में, पैनल के सदस्य हवाई जहाज की उच्च श्रेणी या रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा करने के पात्र होंगे ।

4. बाहर से आने वाले सदस्यों के लिए ठहरने का स्थान तथा भोजन की बैठक के स्थान पर व्यवस्था योजना आयोग द्वारा की जायेगी ।

5. पैनल के कार्य के संबंध में बैठक के स्थान पर वाहन की व्यवस्था योजना आयोग द्वारा की जाएगी ।

6. पैनल के जो सदस्य उपर्युक्त पैरा 4 अथवा 5 में उल्लिखित सुविधाओं का लाभ नहीं उठाएंगे वे उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के सदस्यों को यथा अनुमत्य तथा व्यय विभाग के दिनांक 23 जून, 1986 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19020/1/84-E.4 (समय-समय पर यथा संशोधित) में विनिर्दिष्ट दैनिक भत्ते अथवा वाहन भत्ते के पात्र होंगे । यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते तथा वाहन भत्ते पर होने वाला व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा ।

7. योजना आयोग के दिनांक 25 मार्च, 1983 के संकल्प संख्या ए-12034/2/83-प्रशासन-I (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा गठित अर्थशास्त्रियों का पैनल तत्काल प्रभाव से कार्य करना बंद कर देगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबद्ध व्यक्तियों को प्रेषित की जाए तथा इसे सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जगदीश चन्द्र डंगवाल, निदेशक (प्रशा.)

इलेक्ट्रानिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 1990

संकल्प

स. इ.वि./इं आर. एण्ड डी सी./सी (1)/88—भारत सरकार ने कलकत्ता, लखनऊ, मोहाली तथा पुणे में अनुप्रयोग-उन्मुख, क्षेत्र विशेष के लिए विशेष रूप से उपयोगी, जिसमें

ग्रामीण अनुप्रयोग भी शामिल हैं, अद्यतन इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास-कार्य करने के लिए चार इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है। इसका उद्देश्य तकनीकी-जानकारी विकसित करना और उस देश की विभिन्न विनिर्माण इकाइयों को उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना है। इन इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों से देश में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए इन क्षेत्रों में खासकर लघु क्षेत्र के उद्योगों को अनुसंधान तथा विकास की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास के लिए केन्द्रीय भूमिका निभाएंगे और साथ ही देश में अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय क्षमता हासिल की जा सकेगी और इस दिशा में अधिकाधिक स्वावलम्बन सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा समय-समय किसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के लिए हमें दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा।

2. ये चारों इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगे और संस्था पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्र के सहकारी संस्थाओं को पंजीयकों से पंजीकरण कराएंगे। इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों के लिए धनराशि संयुक्त रूप से इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार तथा संबंधित राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिकी विकास निगमों द्वारा यह राशि बराबर-बराबर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र कलकत्ता के पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रानिकी उद्योग विकास निगम लि.; इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिकी निगम लि. (अपट्रान), लखनऊ; इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, मोहाली के लिए पंजाब राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास तथा उत्पादन लि., चंडीगढ़, इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, पुणे के लिए महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिकी लि. (मेल्ट्रान), बम्बई एंस निगम होंगे। इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों का प्रशासनिक नियंत्रण इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार में निहित रहेगा।

3. इन इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों के प्रबंध का दायित्व सरकार द्वारा अनुमोदित अंतर्नियमावली तथा नियमों एवं विनियमों के अनुसार अधिशासी परिषदों पर रहेगा, जिनका गठन नीचे दिए अनुसार है :—

इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, कलकत्ता की अधिशासी परिषद्

(1) सचिव इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (पदेन)

अध्यक्ष

(2) तथा (3) इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार के सचिव महोदय द्वारा नामित दो सदस्य

सदस्य

(4) निदेशक, इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र कलकत्ता (नियुक्त किया जाना है)

सदस्य

(5) पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रानिकी उद्योग विकास निगम लिमिटेड द्वारा नामित

सदस्य

(6) पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रानिकी उद्योग विकास निगम लि. द्वारा प्रस्तावित प्रयोक्ता उद्योग के प्रतिनिधि

सदस्य

(7) पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि

सदस्य

(8) संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (पदेन)

सदस्य-वित्त

इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, लखनऊ की अधिशासी परिषद्

(1) सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (पदेन)

अध्यक्ष

(2) तथा (3) सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग भारत सरकार द्वारा नामित दो सदस्य

सदस्य

(4) निदेशक, इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, लखनऊ (नियुक्त किया जाना है)

सदस्य

(5) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स निगम लि. (अपट्रान) के नामिती

सदस्य

(6) अपट्रान द्वारा प्रस्तावित प्रयोक्ता संगठन के प्रतिनिधि

सदस्य

(7) उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि

सदस्य

(8) संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग भारत सरकार अथवा उनके नामिती (पदेन)

सदस्य-वित्त

इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, मोहाली की अधिशासी परिषद्

(1) सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (पदेन)

अध्यक्ष

(2) तथा (3) सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित दो सदस्य

सदस्य

(4) निदेशक, इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, मोहाली (नियुक्त किया जाना है)

सदस्य

(5) पंजाब राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास तथा उत्पादन निगम लि. के प्रतिनिधि

सदस्य

(6) पंजाब राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास तथा उत्पादन निगम लि. द्वारा प्रस्तावित प्रयोक्ता संगठन के प्रतिनिधि

सदस्य

(7) पंजाब सरकार के प्रतिनिधि

सदस्य

(8) संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार अथवा उनके नामिती (पदेन)

सदस्य-वित्त

इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, पुणे की अधिशासी परिषद्

(1) सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (पदेन)

अध्यक्ष

(2) तथा (3) सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित दो सदस्य

सदस्य

(4) निदेशक, इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, पुणे (नियुक्त किया जाना है)

सदस्य

(5) महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिकी निगम लि. (मेल्ट्रान) के प्रतिनिधि

सदस्य

(6) मेल्ट्रान द्वारा प्रस्तावित प्रयोक्ता संगठन के प्रतिनिधि

सदस्य

(7) महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि

सदस्य

(8) संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार अथवा उनके नामिती (पदेन)

सदस्य-वित्त

4. संस्था-नियमावलियों में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिशासी परिषद् के अध्यक्ष तथा सदस्यों का संस्थाओं का पंजीकरण कराने और इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित संगठनों को भेजी जाए।

एस. रवि, संयुक्त सचिव

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 फरवरी 1990

शुद्धि पत्र

सं. 10/10/89-के.से.-।।.—इस विभाग के दिनांक 6-1-1990 की अधिसूचना संख्या के नियम 5 में खंड (ग) में उपखंड संख्या (2), (3), (4), (5), (8) तथा (15) को विलोपित माना जाए।

दिनांक 24 मार्च 1990

लिपिक श्रेणी परीक्षा (समूह "घ" कर्मचारियों के लिए), 1990

नियम

सं. 9/2/90-के.सं.(।।).—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के ग्रेड-(6) के अवर श्रेणी ग्रेड, संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में नियमित रूप से नियुक्त ग्रुप "घ" कर्मचारियों के लिए आरक्षित अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1990 में ली जाने वाली क्लर्क ग्रेड परीक्षा (समूह "घ" कर्मचारी), 1990 अर्थात् परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

जो उम्मीदवार परीक्षा में प्रविष्ट किए जाएंगे वे निम्नलिखित सेवाओं का रिक्तियों के पात्र होंगे :—

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, यदि वे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालय/कार्यालय में कार्य कर रहे हैं ।

(ख) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा, यदि वे सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अंतर्सेवा संगठनों में नियुक्त हैं,

(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड-6 यदि वे विदेश मंत्रालय या विदेश में इसके दूतावासों में नियुक्त हैं, और

(घ) संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में।

2. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा। किस तारीख और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी इसका निश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा।

4. कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी ग्रुप "घ" कर्मचारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो परीक्षा में बैठने का पात्र होगा :—

(क) सेवा अवधि : उसने (1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में अथवा (2) सशस्त्र सेना मुख्यालय और/अथवा सेवा संगठनों अथवा (3) विदेश मंत्रालय अथवा विदेशों में इसके दूतावासों अथवा (4) संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में अथवा किसी उच्चतर ग्रेड में 1 अगस्त, 1990 को कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा की हो।

टिप्पणी 1—5 वर्ष की अनुमोदित एवं लगातार सेवा की सीमा तब भी लागू होगी, यदि उम्मीदवार की कुल गिनती की जाने वाली सेवा आंशिक रूप में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय अथवा किसी कार्यालय में अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी कार्यालय में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में और आंशिक रूप से अन्यत्र उसके समकक्ष या उच्चतर ग्रेड में या विदेश मंत्रालय में और विदेशों में इसके दूतावासों अथवा संसदीय कार्य विभाग में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में हो।

टिप्पणी 2—जो ग्रुप "घ" कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जो ग्रुप "घ" कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया गया है अथवा स्थानांतरण पर

अन्य सेवा में है और फिलहाल ग्रुप "घ" के पद पर उसका ग्रहणाधिकार बना हुआ है वह भी अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने का पात्र है।

(ख) आयु : वह 1 अगस्त, 1990 को 50 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए अर्थात् 2 अगस्त, 1940 से पहले उसका जन्म न हुआ हो। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है तो उपर्युक्त निर्धारित आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु-सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

(ग) शैक्षणिक अर्हता : भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के अंत में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य प्रमाण पत्र जो राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र के समकक्ष माना जाता है, वह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा अवश्य पास होनी चाहिए।

टिप्पणी 1—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसके पास करने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र हो जाएगा परन्तु जिसका परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा है। वह आयोग की परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी 2—कुछ विशिष्ट मामलों में जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है जो उस सरकार की राय में प्रवेश करने के लिए यथोचित है।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है।

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपयोग का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(8) परीक्षा भवन में किसी अन्य प्रकार का दुर्व्यवहार करना, अथवा

(9) परीक्षाओं के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान करना अथवा शारीरिक क्षति/चोट पहुंचाना, अथवा

(10) उम्मीदवारों की परीक्षा में बैठने की अनुमति संबंधी उनके प्रवेश पत्र के साथ जारी किए गए किसी अन्य आदेश का उल्लंघन करना, अथवा

(11) पूर्व उक्त धाराओं में उल्लिखित सभी अथवा कोई एक आचरण करने का प्रयास करेगा अथवा, यथा शक्ति उसको अभिप्रेषित करना।

फौजदारी मुकदमे का भागी होने के अतिरिक्त उस पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकती है :—

(क) आयोग द्वारा उसे परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वंचित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा, तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

9. परीक्षा के बाद आयोग, प्रत्येक संबंधित संवर्ग प्राधिकारी को इस परीक्षा में भाग लेने वाले उन उम्मीदवारों के नामों की अलग से सिफारिश करेगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए अर्हक मानक प्राप्त करेंगे. उन उम्मीदवारों के नाम जिन्हें कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है उनका नाम एकल सूची में उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनके मूल समूह "घ" पदों में रखा जाएगा। उच्च श्रेणी में पद धारण करने वाले कर्मचारी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे। संवर्ग प्राधिकारी अपने द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार भरी जाने वाली निर्णित की गई रिक्तियों पर उनकी नियुक्ति करने के कदम उठाएंगे।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे

में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की चिकित्सा की परीक्षा की जाएगी जिनके बारे में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

टिप्पणी :—विकलांग भूतपूर्व रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवाओं के मैन्य विघटन चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

11. इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार के सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान अथवा अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा ली गई अंग्रेजी या हिन्दी की कोई आवर्ती टंकण परीक्षा पहले ही पास न हो तो यह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संचालित अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से ऐसी परीक्षा पास करेगा। ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि (वृद्धियां) नहीं दी जाएंगी।

यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि में उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसे अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में नियुक्त करने से पूर्व मूल नियुक्ति पर अथवा अस्थायी पद पर लौटा दिया जाएगा।

टिप्पणी:—परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी उम्मीदवार से उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास की हो गा जो अपनी नियुक्ति के 6 मास के भीतर टंकण परीक्षा पास कर लेगा उसे पहली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बजाए छः महीने के बाद ही दी जाएगी, परन्तु इसे बाद में नियमित वेतन वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

12. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपने ग्रुप "घ" पद की नियुक्ति से त्याग पत्र दे देता है अथवा/और किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता है अथवा उससे संबंध-विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा वह किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा किसी अन्य सेवा में स्थानांतरण पर नियुक्त हो जाता है और ग्रुप "घ" पद पर उसका पुनः ग्रहणाधिकार नहीं रहता है, तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस ग्रुप "घ" कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

डा. रविन्द्र सिंह, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्न योजना के अनुसार होगी :—

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

पत्र सं०	विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1.	लघु निबन्ध	100	1½ घंटा
2.	सामान्य अंग्रेजी	50	1 घंटा
3.	भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान	50	1 घंटा

2. परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में बताया गया है।

3. उम्मीदवारों को छूट होगी कि वे प्रश्न पत्र-I या प्रश्न पत्र-III या दोनों के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि) में किसी में दें।

प्रश्न पत्र-II के उत्तर सब उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिएं।

टिप्पणी 1—प्रश्न पत्र-III में छूट पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगी, इस प्रश्न पत्र के अलग-अलग प्रश्नों के लिए नहीं।

टिप्पणी 2—उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन पत्र में स्पष्टतः लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देंगे।

टिप्पणी 3—एक बार चुना हुआ विकल्प अंतिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं होगा।

टिप्पणी 4—उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के सिवाय किसी अन्य भाषा में उत्तर देने पर कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

4. उम्मीदवारों को भी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालिफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

6. केवल छिछले ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

वाहन भत्ते पर होने वाला व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

8. परीक्षा के सभी विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

अनुसूची

पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-I.—**लघु निबंध**—दिए गए कई विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा।

प्रश्न पत्र II.—**सामान्य अंग्रेजी**:—उम्मीदवारों की साधारण बोध रचना, व्यावहारिक व्याकरण तथा प्रारम्भिक सारणीकरण (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी के रूप में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की योग्यता जांचने के लिए) में परीक्षा ली जाएगी।

प्रश्न पत्र III.—**भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान**:—सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टि गोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव, जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो, आशा की जा सकती है। इस पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1990

संकल्प

सं. एस.सी.-1(1)/86-डी-III.—भारत सरकार ने दिनांक 31 जनवरी, 1986 के समसंख्यक संकल्प इस्पात और खान मंत्री की अध्यक्षता में "इस्पात उपभोक्ता परिषद्" का गठन किया था, जिसमें सरकार लोहा और इस्पात के उत्पादन और उपभोक्ताओं, मकान निर्माताओं तथा सम्बद्ध उद्योगों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। बाद में कुछ और संगठनों तथा सरकारी विभागों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में दिनांक 26 अगस्त, 1986 के संकल्प द्वारा इसके गठन में विस्तार किया गया था। इस परिषद का कार्यकाल जिसे दिनांक 13 अप्रैल, 1988 के समसंख्यक संकल्प के तहत 30-1-1990 तक बढ़ाया गया था, 30-1-1990 को समाप्त हो गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस परिषद् का कार्यकाल अगले और दो वर्षों तक अर्थात् 30 जनवरी, 1992 तक बढ़ा दिया जाए।

2. दिनांक 13 अप्रैल, 1988 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा कोल्ड रोल्ड फार्मर्स एसोसिएशन, बम्बई तथा जल-भूतल परिवहन विभाग को दिये गये प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया है कि इस परिषद में निम्नलिखित को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।

सदस्य

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना के दो प्रतिनिधि।

प्रतिनिधित्व :

(1) आल इंडिया कोटेड स्टील मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली।

(2) सी. आर. स्टिप्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, बम्बई।

(3) यूनाइटेड साइकिल एण्ड पार्ट्स् मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, लुधियाना।

(4) स्माल स्केल वैल्डिंग इलेक्ट्रोड्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, बंगलौर।

(5) आल इंडिया मैनफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन, बम्बई।

परिषद का कार्यों, अर्थात् लोहे और इस्पात की सप्लाई, उपलब्धता, गुणवत्ता तथा बाजार-रुख से सम्बन्धित मामलों के बारे में केन्द्र सरकार को सलाह तथा सहायता देने में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, और विभागों, जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शामिल हैं और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यू. के. मुखोपाध्याय, संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1990

संकल्प

सं. 3/8/89-भूजल.—केन्द्रीय भूजल बोर्ड के कार्यों की पुनरीक्षा करने हेतु 11 सितम्बर, 1989 के संकल्प सं. 3/8/89-भूजल द्वारा गठित उच्चस्तरीय बहु-विषयक समिति की अवधि 30 जून, 1990 तक बढ़ाई जाती है।

समिति के विचारार्थ विषय वही रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अभय प्रकाश, संयुक्त सचिव

(PLANNING COMMISSION)

New Delhi, the 21st February 1990

RESOLUTION

No. M-11011/1/90-PP.—The Government of India have decided to constitute with immediate effect a Panel of Honorary Advisers, which would interact closely with the Planning Commission on a regular basis to take stock of developments and would suggest various policy options and programme strategies.

2. The Panel will consist of the following Members :

(1) Acharya Ramamurthy,
Saarma Bharati,
Khadi Gram,
District Munghyer,
Bihar-811313.

(2) Dr. D. T. Lakdawala,
Bldg. 5, Lady N-Cot Orphanage,
7 Chaupati Road,
Bombay-400007.

(3) Dr. K. N. Raj,
Nandavan,
Dalava Kunnu,
Kumarapuram,
Trivandrum-695001

(4) Dr. K. S. Krishnaswamy,
Pranathi,
Plot No. 1706, 14th Main,
30th Cross, Banashankari Stage II.
Bangalore-560041.

(5) Dr. V. Kurien,
Chairman,
National Dairy Development Board,
ANAND (Gujarat)—388001.

(6) Dr. Amulya Reddy,
Indian Institute of Science,
Bangalore-560012.

(7) Dr. Veena Mazumdar,
Director,
Centre for Women's Development Studies,
B-43, Panchsheel Enclave
New Delhi-110017.

(8) Dr. V. A. Pai Panandikar
Director,
Centre for Policy Research,
Dharma Marg, Chankyapuri,
New Delhi-110021.

(9) Dr. Y. P. Rudrappa,
Raj Mahal Vilas Extension,
Bangalore-560080.

3. The Members of the Panel will be entitled to travel by air in executive class or by rail in first class airconditioned for journeys relating to the work of the Panel.

4. Planning Commission will provide accommodation and meals to outstation Members at the place of the meeting.

5. Conveyance in connection with the work of the Panel at the place of meeting will be provided by the Planning Commission.

6. The Members of the Panel who do not avail of the facilities mentioned in para 4 or 5 above will be entitled to daily allowance (DA) or conveyance allowance (CA) as admissible to the Members of High Powered Committees and specified in Department of Expenditure O.M. No. 19020/1/84-E.IV dated 23rd June, 1986 (as amended from time to time). The expenditure on TA, DA and CA will be borne by the Planning Commission.

7. The Panel of Economists constituted vide Planning Commission's Resolution No. A-12034/2/83-Adm.I, dated March 25, 1983 (as amended from time to time) will cease to function with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

J. C. DANGWAL
Director (Admin)

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS)

New Delhi, the 5th February 1990

RESOLUTION

No. DOE/ER&DC/C(1)/88.— It has been decided by the Government of India to establish four Electronics Research and Development Centres (ER&DCs) at Calcutta, Lucknow, Mohali and Pune for undertaking application oriented, region specific Research, Design and Development in the state-of-the-art Electronics technology including rural applications so as to generate and deliver know-how for productionisation at various manufacturing units in the country. These ER&DCs will promote growth of electronics industries in the country by providing R&D support to the industries in the region, small-scale industries in particular. The ER&DCs will play the nodal role in the region for Technology Development and maintain close linkages with other national laboratories and academic institutions in the country so as to attain and maintain technological competence, enhanced self-reliance and reduced vulnerability in strategic areas pertaining to electronics technology.

2. The four ER&DCs will be autonomus Scientific Societies registered with the respective Registrars of Cooperative Societies under the Societies Registration Act. The ER&DCs will be jointly and equally financed by the Department of Electronics (DOE), Government of India and the respective State Electronics Development Corporations i.e. West Bengal Electronics Industrial Development Corporation Ltd., (WBEIDC), for ER&DC, Calcutta; UP Electronics Corporation Ltd., (UPTRON), Lucknow for ER&DC, Lucknow; Punjab State Electronics Development & Production Corporation Ltd. (PSEDC), Chandigarh for ER&DC, Mohali; Maharashtra Electronics Corporation Ltd. (MELTRON), Bombay for ER&DC, Pune. The administrative control of the ER&DC will vest with the Department of Electronics, Government of India

3. The management of the affairs of the ER&DCs is entrusted, in accordance with the Memorandum of Association and Rules and Regulations approved by the Government of India, to the respective Governing Councils, the composition of which are given below :—

GOVERNING COUNCIL OF ER&DC, CALCUTTA

Chairman

(i) Secretary, Deptt. of Electronics,
Government of India,
or his nominee (Ex-officio)

(ii) & (iii) Two members nominated by Secretary,
Deptt. of Electronics,
Government of India

Members

(iv) Director, ER&DC, Calcutta
(to be appointed)

(v) Nominee of West Bengal Electronics
Industries Development Corporation Ltd
(WBEIDC).

(vi) Representative of user Industry
proposed by WBEIDC

(vii) Representative of the Government of West
Bengal.

Member—Finance

(viii) JS&FA, Deptt. of Electronics,
Government of India,
or his nominee (Ex-officio)

GOVERNING COUNCIL OF ER&DC, LUCKNOW

Chairman

(i) Secretary, Deptt. of Electronics, Government of India, or his nominee (Ex-officio)

Members

(ii) & (iii) Two members nominated by Secretary, Deptt. of Electronics, Government of India,

(iv) Director, ER&DC., Lucknow (to be appointed)

(v) Nominee of UP Electronics Corporation Ltd. (UPTRON).

(vi) Representative of user Industry proposed by UPTRON.

(vii) Representative of the Govt. of UP.

Member-Finance

(viii) JS&FA, Deptt. of Electronics, Government of India, or his nominee (Ex-officio)

GOVERNING COUNCIL OF ER&DC, MOHALI

Chairman

(i) Secretary, Deptt. of Electronics, Government of India, or his nominee (Ex-officio)

Members

(ii) & (iii) Two members nominated by Secretary, Deptt. of Electronics, Government of India.

(iv) Director, ER&DC, Mohali, (to be appointed)

(v) Nominee of Punjab State Electronics Dev. & Production Corporation Ltd. (PSEDC)

(vi) Representative of user Industry proposed by PSEDC.

(vii) Representative of the Govt. of Punjab

Member—Finance

(viii) JS&FA, Deptt. of Electronics, Government of India. or his nominee (Ex-officio)

GOVERNING COUNCIL OF ER&DC, PUNE

Chairman

(i) Secretary, Deptt. of Electronics, Government of India. or his nominee (Ex-officio)

Members

(ii) & (iii) Two members nominated by Secretary, Deptt. of Electronics, Government of India.

(iv) Director, ER&DC, Pune (to be appointed)

(v) Nominee of Maharashtra Electronics Corporation Ltd. (MELTRON).

(vi) Representative of user Industry proposed by MELTRON.

(vii) Representative of the Government of Maharashtra.

Member—Finance

(viii) JS&FA, Deptt. of Electronics, Government of India. or his nominee (Ex-officio).

4. The Chairman and members of the Governing Councils are authorized to register the Societies and establish the ER&DCs for achieving the objectives set forth in the Memoranda of Association.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

S. RAVI, Jt. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-1, the 28th February 1990

CORRIGENDUM

No. 10/10/89-CS.II.—In this Department's Notification No. 10/10/89-CS.II dated 6-1-90, sub-clauses Nos. (ii), (iii), (iv), (v), (viii) & (xv) in clause (: 4 in Rule 5 stand deleted.

The 24th March 1990

CLERKS' GRADE EXAMINATION (FOR GROUP D STAFF) 1990

RULES

No. 9/2/90-CS.II.—The Rules for qualifying examination viz. Clerks' Grade Examination (for Group D Staff) 1990, to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel & Training in 1990, for the purpose of filling temporary vacancies reserved for regularly appointed Group D Staff in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, the Armed Forces Headquarters Clerical Service, Grade VI of the Indian Foreign Service Branch (B) and posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs, are published for general information.

The candidates who are admitted to the examination will be eligible for vacancies—

(i) in the Central Secretariat Clerical Service, if they are working in the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service;

(ii) in the Armed Forces Headquarters Clerical Service if they are employed in the Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisation;

(iii) in Grade VI of the IFS(B), if they are employed in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad; and

(iv) in posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the advertisement to be issued by the Commission.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix to these rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary Group D employee who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination :—

I. *Length of Service* : He should have rendered on 1st August, 1990, not less than 5 years of approved and continuous service as a Group D employee or in any higher Grade in Ministries/Office participating in (i) the Central Secretariat Clerical Service, or (ii) Armed Forces Headquarters and/or Inter-Services Organisation, or (m) in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad, or (iv) Posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs.

NOTE (1) The limit of 5 years of approved and continuous service will aso apply if the total reckonable service of the candidates is partly as a Group D employees in any Ministry or Office participating in the Central Secretariat Clerical Service or in the Office participating in the Armed Forces Headquarters Clerical Service and partly elsewhere in equivalent or higher grade or as Group D employee in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad or in posts of LDC in the Department of Parliamentary Affairs.

NOTE (2) Group D employees who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. A Group D employee who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and continues to have a lien on a Group D post for the time being will also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

II. *Age* : He should not be more than 30 years of age as on 1st August, 1990 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1940.

The age limit prescribed above will be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

III. *Educational Qualification* : Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to matriculation certificate for entry into service.

NOTE (1) A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination, will not be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE (2) In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of Government justifies his admission to the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the Examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricating documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means, in connection with his candidature for the examination.

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(ix) harassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(x) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xi) attempting to commit, or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them, and

(ii) by the Central Government from any employment under them, and

(c) Disciplinary action under appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

9. After the examination, the Commission will recommend separately to each Cadre Authority concerned participating in the examination the names of candidates, who have attained the qualifying standard, which will be determined at the discretion of the Commission. The names of the candidates who are considered by the Staff Selection Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be arranged in a single list on the basis of their seniority in the parent Group D post. The employees holding posts in higher grade will rank senior to those in the lower grade. The Cadre Authorities shall take steps to appoint them against vacancies decided to be filled in accordance with the rules/regulations framed by them in this regard.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed, only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of the disable ex-Defence Service Personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of an appointment.

11. All appointments on the results of this examination shall be subject to the condition that unless a candidate has already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Services Commission, or Staff Selection Commission, he shall pass such a test at minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute to be held by the authority designated by the Government for the purpose within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increment(s) shall be allowed to him until he has passed the said test.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation, he is liable to be reverted to his substantive appointment or temporary post held by him before his appointment to Lower Division Grade.

NOTE.—A candidate appointed on the results of the examination who has already passed the typewriting test as prescribed above or who passes it within a period of 6 months from the date of his appointment will be granted the first increment after 6 months instead of one year's service. This will, however, be absorbed in the subsequent regular increment.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment as a Group D employee or otherwise quits the service or severes his connection with it or whose services are terminated by this Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien on a Group D post will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Group D employee who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

DR. RAVENDRA SINGH, Under Secy.

APPENDIX

The examination will be conducted according to the following scheme :—

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper No	Subject	Maximum marks	Time allowed
1.	Short Essay	100	1½ hours
2.	General English	50	1 hour
3.	General Knowledge (including Geography of India)	50	1 hour

2. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule to the Appendix.

3. The candidates are allowed the option to Answer Paper I or Paper III or both either in Hindi (in Devanagiri Script) or in English. Paper II must be answered in English by all candidates.

NOTE 1 : The option for Paper III will be for the complete paper and not for different questions in it.

NOTE 2 : Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers of the examination in Hindi (in Devanagiri Script) should indicate their intention to do so in their applications. Otherwise, it would be presumed that they would answer the paper in English.

NOTE 3 : The option once exercised will be final and no request for change of option will ordinarily be entertained.

NOTE 4 : No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subject of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5% of the maximum marks will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expressions combined with due economy of words in all subjects of examination.

SCHEDULE

SYLLABUS

PAPER I—*Short Essay* .

An essay to be written on any one of the several specified subjects.

PAPER II—*General English* :

Candidates will be tested in simple composition, applied Grammer and Elementary Tabulation (to test candidates' ability in the art of compiling, arranging and presenting data in a tabular form).

PAPER III—*General Knowledge (including Geography of India)* :

Knowledge of current event and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions of Geography of India.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 22nd February 1990

RESOLUTION

No. SC-1(1)/86-D III.—Vide resolution of even number dated 31-1-1986 Government of India had constituted a Steel Consumers Council under the Chairmanship of the Minister of Steel and Mines and consisting of representatives of the Government, producers and consumers of Iron and Steel, house builders and related industries. Its composition was enlarged subsequently vide resolution dated 26-8-1986 by giving representation on it to some more associations and Government Departments. The tenure of the Council which was extended upto 30-1-1990 vide resolution of even number dated 13th April, 1988 expired on 30-1-1990. It has now been decided to extend the tenure of the Council by another two years i.e. upto 30-1-1992.

2. In addition to the representations given to Cold Rolled Formers' Associations, Bombay & Deptt. of Surface Transport vide resolution of even number dated 13th April, 1988 it has been further decided to give representation to the following on this Council.

Members

Two representatives of the Visakhapatnam Steel Plant of the Rashtriya Ispat Nigam Limited.

Representation

(1) All India Coated Steel Manufacturer Association, New Delhi.

(2) CR Strips Manufacturers Association of India, Bombay.

(3) United Cycle & Parts Manufacturers Association, Ludhiana.

(4) Small Scale Welding Electrodes Manufacturers Association, Bangalore.

(5) All India Manufacturers Organisation Bombay.

The functions of the Council i.e. to advise and assist Central Government on matters relating to supply, availability, quality and the market trends of iron and steel will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Controller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers Council.

ORDERED also that it be published in the Gazette of India for general information.

U. K. MUKHOPADHYAY, Jt. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 26th February 1990

RESOLUTION

No. 3/8/89-GW.—The term of the High Level Multi Disciplinary Committee, set up vide Resolution No. 3/8/89-GW dated the 11th September, 1989 to review the functioning of the Central Ground Water Board is extended upto 30th June, 1990.

The terms of reference of the Committee would remain unchanged.

ORDER

ORDERED that the above Resolution may be published in the Gazette of India for general information.

ABHAY PRAKASH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, 1990